

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ९१/४६८

जबलपुर, दिनांक ३१/१२/२०२६

श्रीमती प्राची पाण्डेय, S.P.A, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को स्वीकृत संतान पालन अवकाश में से दिनांक ०३.११.२०२५ से ०५.१२.२०२५ तक ३३ दिवस के अवकाश को यथावत् रखते हुए दिनांक ०६.१२.२०२५ से २७.१२.२०२५ तक २२ दिवस के संतान पालन अवकाश को निरस्त किया जाता है तथा दिनांक ०६.१२.२०२५ से ०३.०६.२०२६ तक १८० दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार



(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ९१/४६९

जबलपुर, दिनांक ३१/१२/२०२६

प्रतिलिपि :-

१. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
२. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
३. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
४. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
५. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
६. श्रीमती प्राची पाण्डेय, S.P.A, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Ashish
31/01/2027
(आशीष तिवारी)

डिप्टी रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.